"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2006—वैशाख 8, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2006

क्रमांक ई-1-21/2005/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 14017/6/2006-AIS(II), दिनांक 6-3-2006 के तारतम्य में श्री एस. के. पाठक, भा.प्र.से. (सीजी : 1990) की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को Infrastructure Development Finance Company (IDFC) में सलाहकार के पद पर नियुक्ति हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए सौंपी जाती है तथा उन्हें उनके वर्तमान पद से दिनांक 5-4-2006 को कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2006

क्रमांक ई-7/44/2004/1/2.—श्री विकास शील, भा.प्र.से., कलेक्टर, बिलासपुर को दिनांक 10-4-2006 से 22-4-2006 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8, 9 एवं 23 अप्रैल, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शील, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शील, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शील, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री शील, भा.प्र.से. के उक्त अवकाश अवधि में डॉ. पी. सी. प्रसाद, रा.प्र.से., अपर कलेक्टर, बिलासपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, बिलासपुर का चालू कार्य संपादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2006

क्रमांक 733/464/2006/1/2.—श्री शांतनु, भा.प्र.से., कलेक्टर, धमतरी को दिनांक 10-4-2006 से 22-4-2006 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8, 9 एवं 23-4-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री शांतनु के अवकाश अवधि में श्री डी. आर. मण्डावी, रा.प्र.से., अपर कलेक्टर, धमतरी अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, धमतरी का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री शांतनु, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, धमतरी के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री शांतनु, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शांतनु, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से., संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 10-4-2006 से 24-4-2006 तक (14 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8 एवं 9-4-2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छिब्बर, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक 762/501/2006/1/2.—श्री पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं कृषि उत्पादन आयुक्त को दिनांक 10-4-2006 से 13-4-2006 तक (4 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8, 9, 14, 15 एवं 16 अप्रैल, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-11-4-2006-13-1.—चूंकि राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत राज्य में नवीन औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है.

अतएव छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 (क्र.-ग सन् 1949) की धारा-3 (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उपाबंध-1 में दर्शाए गए उद्योगों को छोड़कर राज्य में स्थापित होने वाले केवल नवीन औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से निर्दिष्ट अवधि हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

क-लघु उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी अ-सामान्य क्षेत्र	1. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट. 2. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योगों को 15 वर्ष तक छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी–ब अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

ख-वृहद्-मध्यम

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी–अ सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी–ब अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

ग-मेगा प्रोजेक्ट्स एवं अति वृहद् उद्योग

क्षेत्र	सामान्य उद्योग	विशेष थ्रस्ट उद्योग
श्रेणी–अ सामान्य क्षेत्र	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.
श्रेणी–ब अति पिछड़े अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक पूर्ण छूट.

- विद्यमान औद्योगिक इकाइयों की विस्तार परियोजनाओं को विद्युत शुल्क छूट की पात्रता नहीं होगी.

राज्य की औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत यदि किसी निवेशक द्वारा दिनांक 1-11-2004 के पूर्व उद्योगों की स्थापना हेतु निर्धारित प्रभावी कदम उठा लिए गए हों, अर्थात्

(i) उद्योग हेतु भूमि का वैध आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया हो.
(ii) प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार शेड का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया हो, तथा
(iii) प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी हेतु पक्का क्रय आदेश जारी कर दिया हो.

ऐसे निवेशकों के समक्ष निम्न दो विकल्प रहेंगे :—

विकल्प-अ :— औद्योगिक नीति वर्ष 2001-06 के अधीन ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं यथा क्रमांक 2348-49, 2350-51, 2352-53 दिनांक 21-6-2002, क्रमांक 2370-71 दिनांक 25-6-2002 तथा क्रमांक 3313-14 दिनांक 18-8-2003 के अंतर्गत पात्रता अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट संबंधी सुविधा प्राप्त की जा सकती है.

विकल्प-ब :— निवेशक द्वारा दिनांक 1-11-2004 के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की स्थिति में औद्योगिक नीति वर्ष 2004-09 के अंतर्गत विद्युत शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त किया जा सकता है.

निवेशक को विकल्प-अ अथवा विकल्प-ब के अंतर्गत छूट के लाभ हेतु उद्योग विभाग से अनुशंसित व अभिप्रमाणित आवेदन मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा.

ऐसे उद्योगों/निवेशकों के मामले में जिन्हें पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत मुख्य विद्युत निरीक्षकालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अनुसार विद्युत शुल्क में छूट की सुविधा दी जा चुकी है, को पूर्व निर्दिष्ट अवधि के लिए छूट मिलती रहेगी तथा ऐसे उद्योगों/निवेशकों को औद्योगिक नीति वर्ष 2004-09 के अंतर्गत छूट के लाभ की पात्रता नहीं रहेगी.

उपरोक्त तालिका अनुसार उद्योग/निवेशक को विद्युत शुल्क में भुगतान की छूट के लाभ हेतु उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकारी से शुल्क में छूट की पात्रता हेतु आवश्यक प्रमाण मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा.

औद्योगिक नीति में निवेश की सीमा, उद्योगों के संवर्ग एवं उद्योगों के नवीन होने तथा विद्यमान औद्योगिक इकाई विस्तार इकाई न होने आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र आवेदक को उद्योग विभाग के सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र विद्युत शुल्क में छूट हेतु आवेदन के साथ मुख्य विद्युत निरीक्षकालय में प्रस्तुत करना होगा. औद्योगिक इकाई में औद्योगिक नीति के प्रावधानों के अनुरूप स्थानीय लोगों को रोजगार देने संबंधी प्रावधानों को संतुष्ट करने का दायित्व निवेशक पर होगा एवं संबंधित जिले के कलेक्टर से इस हेतु प्रमाण-पत्र निवेशक को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा. औद्योगिक नीति में परिभाषित किसी भी शर्त के उल्लंघन के पाए जाने पर छूट की पात्रता स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं रियायत के एवज में हुए लाभ की वसूली भू-राजस्व के बकाया हेतु लागू प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी. विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता के संबंध में ऊर्जा विभाग का निर्णय अंतिम होगा.

यह अधिसूचना दिनांक 1-11-2004 से लागू हुई मानी जावेगी. यह अधिसूचना दिनांक 3 नवम्बर, 2005 को जारी अधिसूचना क्रमांक 3000/13/ऊवि/अधिसूचना/2005 के स्थान पर जारी की जाती है जो उक्त अधिसूचना के स्थान पर प्रभावी रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

"उपाबंध-1"
(अपात्र उद्योगों की सूची)

1. आईस फैक्ट्री, आईसक्रीम, आईस कैण्डी, आईस फ्रुट बनाना.
2. कनफेक्शनरी, बिस्किट तथा बेकरी प्रोडक्ट (यंत्रीकृत प्रक्रिया से प्रमाणीकरण प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्राण्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
3. मिठाई निर्माण, गजक एवं रेवड़ियां.
4. नमकीन निर्माण, खाने के नमक का शुद्धीकरण (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्राण्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
5. मसाला/मिर्ची पिसाई, पापड़ बनाना (मानक प्राप्त पैकेज्ड तथा ब्राण्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
6. फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)
7. हालर मिल.
8. बुक बाईंडिंग, लिफाफा निर्माण, पेपर बेग्स, प्लेइंग कार्ड, पेपर कोन बनाना.
9. आरा मिल, सभी प्रकार के वूडन आयटम, कारपेन्ट्री, वूडन फर्नीचर (वूडन हेण्डीक्राफ्ट को छोड़कर)
10. क्लाथ/पेपर प्रिंटिंग प्रेस (हेण्डीक्राफ्ट प्रिंटिंग व आफसेट प्रिंटिंग को छोड़कर)
11. ईंट निर्माण, कवेलू निर्माण (फलाई एश ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स व यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईंट निर्माण को छोड़कर)

12. टायर रिट्रेडिंग (जॉब वर्क)
13. स्टोन क्रेशर, गिट्टी निर्माण.
14. कोल ब्रिकेट, कोक व कोल स्क्रीनिंग, कोल फ्यूल.
15. खनिज पावडर बनाना (मानक प्राप्त ब्राण्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
16. लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर, मिनरल पाउडर व चूना निर्माण.
17. लेमिनेशन (जूट बेग्स लेमिन्रेशन को छोड़कर)
18. इलेक्ट्रिकल जॉब वर्क.
19. सोडा/मिनरल/डिस्टिल्ड वाटर (मानक प्राप्त ब्राण्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
20. पान मसाला, सुपारी, तम्बाकू, गुटखा बनाना.
21. आतिशबाजी, पटाखा निर्माण.
22. रिपेकिंग आफ गुड्स.
23. चाय का ब्लेडिंग तथा पेकिंग (मानक प्राप्त ब्राण्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
24. फोटो लेबोरिटीज.
25. साबुन एवं डिटर्जेंट (मानक प्राप्त ब्राण्डेड प्रोडक्ट्स को छोड़कर)
26. सभी प्रकार के कूलर.
27. फोटो कापिंग, स्टैंसलिंग.
28. रबर स्टाम्प बनाना.
29. बारदाना मरम्मत.
30. पॉलीथीन बेग्स (एच. डी. पी. ई. को छोड़कर)
31. लेदर टेनरी.
32. भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रमों को छोड़कर)
33. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित किए जाए.

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

शुद्धि-पत्र

क्रमांक एफ 6/158/2005/वाक.(पं.)/पांच.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जिला पंजीयक के पद हेतु चयनित अभ्यार्थी रेणुका श्रीवास्तव की जिला पंजीयक के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के समसख्यंक आदेश में टंकण त्रुटिवश उनके नाम के आगे "कु." शब्द टंकित हो गया है, उसे विलोपित किया जाकर सही नाम "रेणुका श्रीवास्तव" पढ़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 14 अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	ओड़ियाकला प. ह. नं. 42	0.980	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कवर्धा कबीरधाम.	मेनरोड से दैहानडीह सड़क निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 15 अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	टाटीकसा प. ह. नं. 62	5.185	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला- कबीरधाम- (छ. ग.)	नवागांव व्यपवर्तन की नहर-नाली हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन प्र. क्र. 1 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	करदा प. ह. नं. 29	0.098	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	करदा व्यपवर्तन निर्मित योजना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

प्रकरण क्रमांक 3 अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	घुठेली	2.39	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	भेरवा जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

प्रकरण क्रमांक 5 अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	सिलदहा	1.00	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	भेरवा जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्रमांक 16/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बगड़ी	11.722	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	बगड़ी जलाशय योजना मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2006

क्रमांक 17/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	डोंगरिया	3.985	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	बगड़ी जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 13 मार्च 2006

क्रमांक 2361 क/भू-अर्जन/6 अ/82/वर्ष 05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	नवागांव	0.69	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	महानदी सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शांतनु, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 318/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	पिरदा प. ह. नं. 37	0.06	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन, दुर्ग.	लोरनाला डायवर्सन नहर निर्माण बावत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 319/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	बारगांव प. ह. नं. 25	0.27	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	बारगांव नाला डायवर्सन के अंतर्गत भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 320/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	सुरहोली प. ह. नं. 29	0.051	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन, दुर्ग.	सुरहोली जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 321/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	भांड प. ह. नं. 27	0.02	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन, दुर्ग.	भांड जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 322/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	आनंदगांव प. ह. नं. 26	1.47	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भरदा जलाशय के अन्तर्गत भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 323/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	खर्रा प. ह. नं. 24	0.23	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	खर्रा जलाशय के अंतर्गत भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 324/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचनां दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	कोसपातर प. ह. नं. 25	0.38	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	बारगांव नाला डायवर्सन के अंतर्गत भूमि अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविंभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 325/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	गब्दा प. ह. नं. 37	0.47	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	लोरनाला डायवर्सन के अंतर्गत नहर निर्माण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 326/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	बेरला प. ह. नं. 14	0.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	तरकोरी जलाशय के अन्तर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 327/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	भैसबोड़ प. ह. नं. 28	0.78	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	तरकोरी जलाशय के अन्तर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 328/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	भरदा प. ह. नं. 26	0.456	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भरदा जलाशय के अंतर्गत भूमि अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 329/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	सोरला प. ह. नं. 27	0.072	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन, दुर्ग.	खर्रा जलाशय के अन्तर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 333/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	ऊफरा प. ह. नं. 37	0.304	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	लोरनाला डायवर्सन नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 334/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	मुड़पार प. ह. नं. 26	1.160	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन, दुर्ग.	भरदा जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 335/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	तेलंगा प. ह. नं. 26	0.11	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	बारगांव नाला डायवर्सन के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक 336/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	सिलघट प. ह. नं. 8	0.65	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	सिलघट जलाशय के अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक 415/प्र.-1/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	सम्बलपुर प. ह. नं. 24	0.45	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2644/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	बागद्वार प.ह.नं. 82	13.548	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज बायींतट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2645/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	बादराटोला प.ह.नं. 60	8.266	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन वैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज बायींतट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2646/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	केरेगांव प.ह.नं. 60	6.799	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन वैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज बायींतट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2647/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	रेंगाकठेरा प.ह.नं. 14	0.844	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज बायींतट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006.

क्रमांक 2648/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	आतरगांव प.ह.नं. 59	9.922	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज बायींतट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2649/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	पाण्डुका प.ह.नं. 59	5.252	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरियानाला बैराज बार्योतट मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2655/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	रामपुर प.ह.नं. 21	4.290	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	खातू टोला बैराज के शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2656/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	लालबहादुर नगर प.ह.नं. 24	0.052	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	खातू टोला बैराज के शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2657/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	नारायणगढ़ प.ह.नं. 21	6.854	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	खातू टोला बैराज के शीर्ष कार्य एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन.

राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 मार्च 2006

क्रमांक 114/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 को धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	घोघरा प.ह.नं. 2	0.141	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	जुनवानी माइनर नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 मार्च 2006

क्रमांक 115/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	छिन्दमुड़ा प.ह.नं. 2	0.375	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	मोहगांव माइनर नहर निर्माण हेतु (मूल).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 मार्च 2006

क्रमांक 116/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सक्ती प.ह.नं. 8	0.134	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सक्ती उप वितरक नहर निर्माण (पूरक).

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

प्रकरण क्रमांक 3 अ/82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-.
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-मुंगेली
 (ग) नगर/ग्राम-घुठिया
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.42 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
122	0.05
124/2	1.30
125/2	0.48
126/1	0.27
136/1	0.04
136/2	0.29
137	0.42
138	0.32
160	0.05
232/2	0.05
356/2	0.05

(1)	(2)
759	0.10
योग	3.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिगुआ जलाशय डूबान एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक 2482/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत. इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-224.286 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
232	0.182
683	0.825
241/4	1.125
789/1	0.405
780/3	1.627
569	0.150
685	0.660
540/6	0.182
540/7	0.162
495	0.170
221/3	0.097
221/4	0.101
479/2	0.118
675/2	0.129
689/3	0.133
817	0.108
812/1	0.995
523/3	0.809
462/3	1.620
686	0.594
790/2	0.380
497	0.227
711/2	0.405
820/1	0.380
820/3	0.243
826	0.206
221/1	0.097
508	0.136
675/3	0.134
479/4	0.121
224/5	0.607
519/4	0.186
523/6	0.364
523/10	0.304
780/4	0.526
780/6	0.263
780/15	0.081
463/2	0.076
668	0.571
780/11	0.506
241/12	0.510
236	0.061
542/1	0.445
224/9	0.405
241/21	0.530
241/38	0.251
224/11	0.409

(1)	(2)	(1)	(2)
477	0.097	209	0.036
622/1	0.097	672	0.312
711/1	0.776	519/1	0.162
239/3	0.032	523/3	0.567
241/11	0.093	523/12	0.040
793/1	0.113	780/5	0.567
695	0.401	780/12	0.283
224/6	0.348	216	0.032
224/12	0.178	225	0.134
716/2	0.263	472	0.040
720/1	0.081	473	0.036
720/4	0.323	820/5	0.255
724/1	0.142	212	0.077
808/2	0.202	690	0.295
713/1	0.065	224/3	0.930
714	0.506	520/1	0.234
713/3	0.579	520/6	0.170
403	0.109	224/4	0.405
716/3	0.264	241/39	0.202
720/2	0.081	337/3	0.035
720/5	0.243	237/1	0.190
720/7	0.129	465/2	0.085
724/2	0.081	780/16	0.607
808/3	0.243	780/17	0.574
791/3	0.202	412	0.061
795	0.146	489/3	0.101
811	0.113	489/4	0.061
812/2	0.069	543/2	0.101
810/1	0.081	565/2	0.040
214/14	0.648	595/2	0.202
698/10	1.348	489/6	0.162
540/4	0.664	563	0.105
820/4	1.015	597	0.555
224/2	0.833	220	0.243
224/7	0.635	464/1	0.081
525/2	0.166	780/10	0.546
529/1	0.065	713/2	0.445
549/2	0.304	780/14	0.162
239/1	0.345	687	0.356
241/16	0.093	548/2	0.202
525/1	0.166	479/1	0.121
241/17	0.202	675/1	0.202
529/2	0.060	539	0.129
549/3	0.304		
207	0.162		

(1)	(2)
586	1.153
519/3	0.162
524/4	0.121
528/2	0.283
523/11	0.129
780/8	0.526
780/13	0.324
398/1	0.142
462/4	1.995
550/3	0.259
241/6	0.429
567	0.668
825	0.016
479/3	0.121
375/4	0.138
221/2	0.097
572	0.057
577	0.134
851	0.073
674	0.825
751	0.012
235	1.264
241/12	0.064
241/19	0.441
791/1	0.162
791/4	0.243
810/2	0.021
814	0.170
423/2	0.121
475	0.308
505/2	0.085
241/7	0.518
638	0.397
637/2	0.194
550/2	0.247
524	0.543
223	0.182
518	0.069
693	0.413
815	0.721
628	0.551
716/1	0.101
720/3	0.142
720/6	0.081
724/3	0.121
541/3	0.150
401	0.105
506/1	0.089
667/1	0.461
542/2	0.474
568	0.097
236/1	0.065
790/1	0.105
790/1	0.405
432/2	0.468
629	0.231
241/13	0.057
830	0.259
500	0.255
696	1.489
697	0.061
752	0.143
583	0.036
588	0.073
619/1	0.154
769	0.138
400/2	0.121
506/2	0.352
667/2	0.243
789/2	0.737
562	0.336
599	0.178
594	0.263
238	0.308
520/2	0.194
520/5	0.210
505/1	0.405
402	0.028
780/7	0.526
523/5	0.462
780/9	0.364
448/3	0.130
787/2	0.425
712	0.243
793/2	0.405
820/2	0.255

(1)	(2)	(1)	(2)
820/6	0.061	485	1.121
401	0.032	610/1	0.612
461/1	0.308	749/1	0.226
780/1	1.619	770/1	0.259
222	0.053	777	0.648
576	0.081	831/4	0.182
457/2	0.365	831/2	0.283
537/1	0.056	831/6	0.121
559/2	0.064	215	1.100
662/1	0.121	618/1	0.567
237/2	0.190	621	0.065
552	0.421	483/1	0.599
465/1	0.085	555/1	1.267
592	0.271	828/1	0.413
805[illegible]	0.129	828/3	0.769
806	0.405	828/5	0.223
481/2	0.433	773/1	0.607
610/2	0.210	698/5	0.809
749/2	0.243	794/2	0.304
770/2	0.607	809/2	0.247
831/1	0.243	796/1	0.283
831/3	0.142	228	0.259
831/5	0.040	639	0.186
698/3	4.909	519/2	0.509
453/1	0.118	464/2	0.170
463/1	0.915	523/9	0.121
470	0.105	668/2	0.575
511/1	0.346	780/2	5.856
605/1	0.388	398/2	0.153
802/1	0.118	448/1	0.380
231	0.713	484	0.045
450/1	0.138	702	0.097
703	0.202	787/1	0.716
533/1	0.032	704	0.117
534/1	3.076	230	0.162
570	0.093	421/2	0.364
603/2	0.324	556	0.745
548/4	0.239	224/13	0.340
471/2	0.526	822	0.117
601/2	0.405	432/4	0.809
478	0.129	432/1	1.473
462/1	1.943	458/4	0.862
481/1	0.445	823	0.045

(1)	(2)
571	0.097
633	0.304
637/1	2.633
634	0.093
636/2	0.486
636/3	0.243
460/1	0.854
665	0.380
671	0.898
707	0.073
722	0.971
726	0.235
807	0.696
669/2	0.121
718	0.866
719/2	0.324
725/2	0.053
725/4	0.069
432/2	0.809
458/1	0.753
615	0.085
432/5	0.263
429	0.040
493	0.829
626/1	0.644
397	0.142
521	0.660
489/5	0.829
224/1	0.615
241/26	0.146
482/1	0.983
779	1.214
829/3	0.971
566/2	0.146
593/1	0.130
600/2	0.073
684/1	0.365
489/1	0.101
698/4	4.706
699	0.202
394/8, 10	1.352
208	0.162
488	0.170
419	0.117
459/1	0.963
468	0.040
510	0.494
801	0.299
396	0.478
698/2	4.940
698/1	0.592
613	0.077
601/1	2.736
492	0.894
520/6	0.170
584	0.146
631	0.146
575	0.069
816	0.486
812	1.214
490	0.376
579	0.036
590	0.065
452	0.214
467	0.040
469	0.121
480	0.991
604	0.194
800	0.299
487	0.105
449/1	0.081
701	0.097
705	0.117
783	0.073
229	0.162
522	0.138
555/2	0.405
527/3	0.109
551/1	0.085
551/6	0.101
776/5	0.028
527/1	0.109
551/4	0.170
776/1	0.033
774	0.081
521/3	0.170
776/4	0.028

(1)	(2)	(1)	(2)
527/2	0.126	684/2	0.364
551/5	0.170	489/2	0.061
776/2	0.032	457/1	0.365
640	0.845	537/1	0.057
641	0.433	559/1	0.069
719/1	0.154	664/1	0.121
725/1	0.077	531	0.097
424	0.105	532/1	0.461
630	0.085	533/2	0.170
708	0.073	534/3	0.340
725/3	0.518	543/1	0.093
233	0.182	565/1	0.040
775/5	0.020	595/2	0.081
775/2	0.081	673	0.202
540/8	0.097	394/11	0.231
540/19	0.182	404/2	0.085
445	0.040	404/3	0.146
808/1	0.231	580	0.206
541/1	0.283	404/4	0.085
561	0.081	451/2	1.388
541/4	0.268	509/2	0.377
614	0.061	606/3	0.175
218/2	0.276	606/4	0.121
413/2	0.166	799/2	0.231
422/1	0.081	509/1	0.372
422/3	0.061	606/1	0.255
426/1	0.041	499/3	0.174
476/1	0.234	799/1	0.057
476/3	0.073	466	0.024
557	0.121	553/1	0.393
218/1	0.275	698/7	0.376
413/1	0.121	698/8	1.356
422/2	0.081	698/9	0.987
426/2	0.040	792/1	0.353
476/2	0.312	813	0.275
535/1	0.073	824	0.101
666	0.121	792/2	0.194
532/2	0.073	794/2	0.283
534/2	1.032	796/2	0.341
566/1	0.186	809/2	0.247
593/2	0.125	425	0.624
600/1	0.117	609/2	0.445
632	0.081	453/2	0.109

(1)	(2)	(1)	(2)
463/2	0.910	489/7	0.165
511/2	0.394	523/2	0.648
605/3	0.514	523/7	0.809
612	0.101	600/3	0.056
802/2	0.117	239/2	0.121
462/5	0.363	240	0.081
775/6	0.020	431	0.401
775/4	0.081	541/2	0.146
483/2	0.594	689/2	0.267
609/1	0.445	550/1	0.251
773/2	0.607	481/3	0.405
828/2	1.019	526	0.283
828/4	0.360	778	0.243
241/22	0.243	494	1.052
241/24	0.166	504	1.319
534/4	0.821	428	0.045
535/2	0.073	502	0.384
241/23, 241/37	0.190	554	0.733
241/28	0.283	669/1	0.429
728	0.251	611	0.360
548/1	0.226	520/3	0.202
548/3	0.230	520/4	0.202
507	0.134	551/2	0.170
603/1	0.899	776/3	0.033
603/4	0.875	706	0.077
749/2	0.227	717	0.837
241/35	0.056	721	0.308
241/33	0.639	793	0.317
241/15	0.445	727	0.547
694	0.223	451/1	1.242
241/2	0.182	456	1.388
691/2	0.162	474	0.020
791/5	0.081	536	0.113
791/6	0.668	558	0.125
547	0.441	231	0.138
578	0.036	399	0.271
591	0.065	446	0.162
512	0.243	501	0.405
805	0.142	585	0.142
544	0.190	587	0.271
564	0.101	545	0.429
596	0.304	241/10	0.239
598	0.210	241/20	0.243

(1)	(2)
241/21	0.190
224/12	0.405
211	0.138
447	0.161
582	0.036
589	0.065
768	0.138
803	0.150
573	0.045
574	0.024
616	0.125
715	0.376
819	0.287
821	3.536
234	0.061
610/3	0.405
421/1	0.809
414	0.202
750	0.417
772	0.081
423/1	0.251
241/5	0.965
219	0.247
241/8	0.113
241/3	0.322
775/1	0.073
775/3	0.049
698/10	1.214
523/13	1.506
689/1	0.134
241/34	0.780
241/9	0.247
549/1	0.359
462/6	0.809
210	0.210
योग 602	224.286

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सूखानाला बॅराज निर्माण हेतु (डूबान क्षेत्र).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अप्रैल 2006

क्रमांक 2484/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-चिद्दो

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.678 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
162/2	0.125
165	0.162
166/1	0.052
166/2	0.052
167/1	0.078
167/2	0.097
170	0.097
171	0.097
172/2	0.097
173/1	0.089
173/2	0.117
177/1, 4	0.097
177/2	0.073
177/3	0.065
177/5	0.097
177/6	0.097
178	0.150
179	0.036
योग 18	1.678

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सूखानाला बॅराज निर्माण हेतु (रोड निर्माण).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2637/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-गुण्डरदेही, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.379 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
469/2	0.113
470/3	0.040
465	0.373
425/3	0.141
424/4	0.178
407/7	0.121
407/4, 2	0.210
370/3	0.041
369/7	0.162
योग 9	1.379

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट नहर निर्माण हेतु (अनुपूरक).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2638/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-सांगली, प.ह.नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.422 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
33/1, 2, 3	0.355
59/1	0.456
59/3	0.334
92/2	0.028
92/1	0.363
98	0.162
108/1	0.024
107/1	0.057
107/2	0.267
106/1	0.081
105/1	0.152
106/2	0.033
74	0.110
योग 13	2.422

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के सांगली लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2639/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-चारभांठा, प.ह.नं. 62

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.758 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
81	0.370
84	0.077
85	0.067
89	0.202
75/1	0.200
69	0.470
68	0.046
117/3	0.086
117/2	0.163
117/4	0.045
64/1	0.154
64/2	0.144
52/2	0.107
53/1	0.142
54	0.230
55/2	0.135
512	0.120
योग 17	2.758

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के हालाडुला लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2640/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-हालाडुला, प.ह.नं. 63

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.221 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
152/1	0.036
152/2	0.013
152/3	0.142
152/5	0.048
152/6	0.086
152/8	0.004
147	0.336
146	0.004
140/1	0.197
140/2	0.122
136	0.020
137/2	0.133
335	0.177
265/2	0.055
265/4	0.018
265/6	0.088
267	0.048
268	0.030
269	0.152
278/1	0.153
279	0.149
296	0.163
297/1	0.053
297/2	0.086

(1)	(2)
298	0.064
305	0.014
307/2	0.336
1/1	0.173
1/3	0.175
1/2	0.141
13	0.028
19/1	0.188
20/1	0.075
21/3	0.087
21/4	0.085
21/6	0.028
21/7	0.129
21/5	0.238
21/9	0.268
25/1	0.096
41/1	0.020
41/4	0.057
41/8	0.109
44/3	0.196
44/7	0.025
44/4	0.075
44/18	0.159
1/6	0.140
योग 48	5.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के हालाडुला लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2641/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गोटाटोला, प.ह.नं. 62
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.599 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
55	0.320
60/1	0.265
105	0.230
170	0.180
169/1	0.210
166/2	0.192
51/6	0.202
योग 7	1.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के हालाडुला लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 अप्रैल 2006

क्रमांक 2642/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प.ह.नं. 63
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.009 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
488	0.140
489	0.140
490	0.260
494/1	0.077
494/2	0.077
494/3	0.048
495/1	0.032
495/2	0.106
464/2	0.112
496	0.154
463/1	0.096
497/4	0.068
497/3	0.024
471	0.058
472	0.058
462/3	0.106
462/2	0.100
463/2	0.134
464/1	0.100
550/1	0.210
550/9	0.218
548/1	0.240
267/7	0.164
267/8	0.279
474	0.008
योग 25	3.009

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के हालाडुला लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी मोंगरा बॅराज परियोजना जिला कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. **मिश्रा**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2006

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र.क्र. 37 अ/82, वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायपुर
 (ख) तहसील-आरंग
 (ग) नगर/ग्राम-केसला, प. ह. नं. 52
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34	0.12
82	0.24
33	0.16
79	0.02
27	0.20
35	0.34
36	0.17
76/1	0.34
170	0.10
83/4	0.15
83/5	0.17
566/2	0.03
163	0.12
175/1	0.02
8	0.08
164	0.15
7	0.22
28	0.13
389/2	0.10

(1)	(2)
9	0.08
81	0.23
6	0.13
16	0.05
75	0.12
30	0.22
397	0.02
566/1	0.10
383	0.20
5/1	0.17
379	0.02
83/1	0.05
83/3	0.14
566/3	0.08
395	0.10
17	0.24
175/3	0.22
14	0.08
24/2	0.10
31	0.16
166	0.08
168	0.02
171	0.18
393	0.02
388	0.47
396	0.68
29	0.18
37	0.20
83/2	0.44
162	0.20
175/4	0.28
5/2	0.03
78	0.12
26	0.40
15	0.10
174	0.20
165	0.10
167	0.03
172	0.14
173	0.27
175/2	0.22
371	0.37
392	0.35
24/3	0.09
24/1	0.11
77/1	0.18
169	0.07
389/1	0.03
76/2	0.08
77/2	0.20
5/3	0.09
39	0.05
384	0.24
387	0.03
32	0.15
386	0.16
योग	11.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2006

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र.क्र. 38 अ/82, वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-रसौटा, प. ह. नं. 52

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.74 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
47	0.04
12	0.29
37	0.31
13	0.16
38	0.06
14	0.30
34	0.02
39/1	0.18
33	0.13
23	0.02
43	0.17
11	0.05
36	0.24
10	0.01
45	0.08
108	0.03
42	0.12
39/2	0.10
31	0.28
46	0.10
41	0.20
32	0.29
9	0.01
40	0.18
16/1	0.02
44	0.28
26	0.07
योग 27	3.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर केनाल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2006

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र.क्र. 26 अ/82, वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-तुलसी, प. ह. नं. 52
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-23.49 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
999	0.03
802	0.55
1038	0.55
188	0.01
370	0.04
1297	0.02
1292	0.08
1287	0.23
1288	0.12
1286	0.12
1298	0.01
1025	0.37
1022/1	0.07
379	0.52
1278/1	0.18
248	0.03
369	0.40
809	0.11
810	0.19
1021/2	0.13
1022/2	0.32
181	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
196	0.04	1028	0.06
1266	0.28	1001/1	0.13
1148/2	0.13	220	0.17
807	0.08	246	0.03
1284	0.07	1002	0.06
558	0.80	194	0.02
193	0.02	535/2	0.30
1077	0.39	535/3	0.40
1018	0.03	1021/1	0.18
1285	0.22	383/2	0.08
556	0.20	383/4	0.09
554/2	0.01	1020	0.07
1271	0.57	1001/2	0.23
1296	0.10	374	0.30
534/3	0.09	1283	0.40
1244	0.12	550/1	0.03
534/2	0.44	380	0.04
537/2	0.36	1254	0.24
1270/2	0.03	376	0.20
223/2	0.20	532	0.04
804	0.06	1016/2	0.32
998	0.06	995	0.01
1256	0.12	1272	0.23
1027	0.11	1273	0.01
1251/1	1.17	371	0.20
1016/1	0.21	375	0.02
1022/3	0.45	222	0.12
555	0.02	1267	0.07
378/2	0.09	1268	0.05
191/2	0.11	535/1	0.18
1021/4	0.10	1250/1	0.22
190	0.23	189	0.10
192	0.34	219	0.21
1014	0.15	537/1	0.30
1000	0.09	808/1	0.35
240	0.15	550/3	0.03
1013	0.24	182	0.02
180	0.01	197	0.12
1247	0.04	1270/1	0.48
247	0.29	378/1	0.10
1019/1	0.03	1249/1	0.17
1293	0.45	367	0.03
218	0.06	372	0.05

(1)	(2)
803	0.05
997	0.03
1026	0.08
198	0.07
560	0.39
536	0.17
179	0.10
223/1	0.05
559/2	0.03
551	0.38
191/1	0.12
1253/1	0.01
1249/2	0.16
1269	0.41
1246	0.07
1265	0.01
1248	0.17
1021/3	0.23
1148/1	0.32
1257	0.23
60/2	0.12
1245/2	0.20
221	0.01
808/2	0.40
1255	0.13
368	0.06
199	0.01
373	0.07
योग 136	23.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर केनाल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2006

क्रमांक अ.वि.अ. भू-अर्जन/प्र.क्र. 19 अ/82, वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-रानीसागर, प. ह. नं. 51/39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.68 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
439/1	0.67
421	0.24
247	0.20
338	0.11
256	0.72
415	0.19
246	0.16
248	0.28
226/4	0.12
438	0.03
257	0.52
416/2	0.12
242	0.18
291	0.20
251	0.20
289	0.05
218	0.03
243	0.43
226/2	0.46
229/1	0.47
287	0.08
352	0.57
228/1	0.13

(1)	(2)
223	0.30
348/1	0.20
422	0.62
217	0.09
326	0.50
229/2	0.18
230	0.38
346	0.15
228/6	0.15
439/2	0.22
440	0.05
351	0.07
416/1	0.46
414	0.51
437/2	0.09
229/3	0.21
328	0.02
231	0.11
216	0.20
250	0.14
290	0.26
337	0.46
345	0.02
228/4	0.14
195/1	0.30
347	0.10
348/2	0.15
349	0.09
417	0.02
282	0.05
284	0.46
437/2	0.10
228/7	0.17
288	0.13
215	0.20
249/2	0.43
226/1	0.08
329/1	0.13
329/2	0.96
430	0.26
847	0.65
426	0.34
425	0.08
848	0.12
850	0.02
851	0.03
423	0.05
424	0.11
846	0.46
854	0.26
849	0.23
856/1	0.60
856/2	0.12
857	0.29
योग	18.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर केनाल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 2 अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-सूरजपुरा, प. ह. नं. 63
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.638 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.324
158/2	0.174
156/1	0.077
156/2	0.077
155/2	0.141
154	0.073
153/2	0.061
153/3	0.008
75/1	0.040
75/3	0.036
75/5	0.049
148/1	0.097
147	0.093
145/3	0.246
145/1	0.089
403/1	0.113
403/2	0.113
398	0.405
396/1	0.049
396/2	0.012
396/3	0.049
396/4	0.012
457/1, 4	0.053
457/5	0.053
461	0.049
462	0.073
465/1	0.113
467/3	0.077
520	0.275
468	0.073
517/1	0.081
517/2	0.016
518	0.069
516/1	0.069
516/2	0.012
465/3	0.061
465/4	0.040
511/1	0.081
511/2	0.081
519	0.012
145/23	0.012
योग 41	3.638

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राजपुर व्यपवर्तन योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 7 अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को, इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-कांपा, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.50 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
110/1	0.65

(1)	(2)
110/2	0.85
योग 2	1.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 11 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-दारगांव, प. ह. नं. 62
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.541 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
170	0.295
171	0.101
172	0.028
161	0.040
164	0.065
163	0.012
योग	0.541

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-नवागांव व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत पार निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 12 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-चारभांठा, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
970/1	0.028
योग	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मेनरोड से. चारभाठा सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 13 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोडला
- (ग) नगर/ग्राम-मानिकपुर, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	636/3	0.057
योग		0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मेनरोड से मानिकपुर सड़क निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 1 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-खैरबना, प. ह. नं. 59
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.617 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	141/1	0.141
	141/2	0.048
	142/3	0.012
	143/1	0.121
	143/2	0.057
	148/1	0.178
	148/2	0.004
	149	0.040
	167/3	0.004
	167/4	0.012
योग	10	0.617

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 2 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-कवर्धा
(ग) नगर/ग्राम-नरोधी, प. ह. नं. 57
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.611 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	200	0.611
योग	1	0.611

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 3 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-सरोधी, प. ह. नं. 45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.494 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66	0.178
122	0.316
योग 2	0.494

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुतियापाट परि-योजना के अंतर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 4 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहगांव, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.926 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
611/1	0.182
612	0.089
615	0.020
616/1	0.210
616/3	0.064
736	0.089
693/2	0.105
616/2	0.060
746/5	0.109
746/6	0.052
617/1	0.052
693/4	0.165
691/3	0.145
690	0.020
689	0.089
688	0.048
682/1	0.020
682/2	0.101
681	0.129
738/2	0.161
703/3	0.016
709/1	0.109
709/2	0.016
710	0.375
711/1	0.048
712/6	0.105
712/1	0.129
719/1	0.137
740/1	0.016
737	0.028
740/3	0.052
742/2	0.032
742/3	0.048
741	0.028
735	0.169
798/1	0.243

	(1)	(2)
	801	0.465
योग	37	3.926

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 5 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बनखैरा, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.525 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	75/1, 76/2	3.927
	75/2	2.452
	75/5	0.364
	75/11	1.153
	75/6	0.567
	85/1	1.942
	85/4	0.364
	96/2	1.104
	91/3	0.700
	91/1	0.700
	91/2	0.700
	92/1	2.833
	94/1	1.214
	94/2	0.364
	94/3	0.141
योग	15	18.525

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत उलट, नहर नाली हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 6 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-कटंगीखुर्द, प. ह. नं. 45
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.338 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26	0.425
28/1, 30/1	0.587
28/2, 29/1 ख, 30/2, 31, 32	0.574
29/1 क, 35/2	0.089

(1)	(2)
56 57/1	0.291
61 62	1.372
योग 6	3.338

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 7 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-बनखैरा, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.393 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
20	0.360
23	0.121
38, 39/1, 39/2, 40/1, 42	0.145
32, 36, 37	0.162
43	0.538
70/7, 72/2	2.278
70/8, 70/9, 71/3	1.214
70/10, 72/3	0.454
74/3	0.648
70/1, 70/3, 71/2	0.409
16/1	0.032
41	0.032
योग 12	6.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 8 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसबोड़, प. ह. नं. 47/50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.887 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
21	0.571
78	0.093
27	0.692
93	0.044
26/2	0.178
31/106	0.097
49	0.057
94	0.510
22	0.065
58	0.089

(1)	(2)
59	0.235
68	0.097
72	0.041
101	0.591
102	0.530
62	0.146
63	0.041
64	0.291
65	0.061
77	0.202
79	0.081
80	0.041
98	0.081
67	0.053
योग 24	4.887

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत लिंक नहर एवं बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 1 अप्रैल 2006

प्र. क्र. 10 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-केजादाह, प. ह. नं. 51

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.750 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
120	0.206
121/1	0.218
122	0.141
123	0.174
133/1	0.340
133/7	0.048
133/5	0.186
135/1	0.081
135/3	0.506
135/4	0.081
135/5	0.081
137/1	0.081
137/2	0.061
137/3	0.048
137/4	0.044
148/8	1.053
150/1	0.275
149/1	0.162
158/2	0.129
159/1	0.364
160/1	0.648
160/4	0.081
160/3	0.028
164/1	0.141
164/2	0.101
295	0.510
296/3	0.510
158/1	0.162
133/6	0.040
149/2	0.129
162/3	0.121
योग 31	6.750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2006

क्रमांक 577/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरेझर, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1240	0.02
1193	0.01
1196	0.01
1199	0.06
1242	0.01
1212/1	0.03
1223	0.01
1238	0.02
1369	0.10
1268	0.18
1225	0.04
1195	0.02
1194/2	0.03
1323	0.07
1182/1	0.02
1212/2	0.05
1224	0.05
1241	0.03
1340	0.07
1281	0.17
1226	0.03
1208	0.02
1207	0.02
1198	0.03
1182/2	0.02
1213	0.12
1227	0.02
1321/1	0.04
1341	0.06
1282	0.22
1228	0.02
1194/1	0.03
1197	0.03
1200	0.04
1206	0.01
1222	0.10
1230	0.01
1321/2	0.04
1338	0.12
1317	0.24
1229	0.01
योग	2.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रौता जलाशय हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 मार्च 2006

क्रमांक 580/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-रौता, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83	0.10
110	0.25
81/1	0.12
107	0.10
114	0.03
118	0.15
162	0.01
151/2	0.02
161	0.01
84	0.04
86	0.06
104	0.05
108	0.02
115/2	0.17
123	0.01
163	0.01
164/2	0.04
169	0.01
85	0.06
87	0.05
105	0.06
109	0.25
116	0.23
149	0.02
151/1	0.05
158/1	0.03
168	0.01
89	0.35
80	0.40
106	0.35
113	0.01
117	0.21
150	0.02
164/1	0.02
158/2	0.03
170	0.01
योग	3.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रौता जलाशय हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 अप्रैल 2006

क्रमांक 545-अ/82 सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.21 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
238	0.02
248	0.07
245/2	0.01
254	0.10
253	0.03
239	0.26
249	0.08
247/1-2	0.06
255	0.06
244	0.22
246	0.03
250	0.14
252	0.13
योग	1.21

(2)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 अप्रैल 2006

क्रमांक 547-अ/82 सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-पाटन
 (ग) नगर/ग्राम-खर्रा, प. ह. नं. 25
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.71 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1295	0.24
1292	0.23
1162	0.19
1298	0.12
1369/2	0.22
1291	0.01
1294	0.04
1296	0.15
1300	0.08
1293	0.14
1161	0.01
1297	0.12
1304	0.16
योग	1.71

(2)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 अप्रैल 2006

क्रमांक 549-अ/82 सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-दुर्ग
 (ख) तहसील-पाटन
 (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.59 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
401	0.05
403	0.16
452	0.14
777	0.01
771	0.14
766	0.07
643	0.09
727	0.10
640/1	0.04
642/2	0.02
599/2	0.11
597	0.03
583	0.05
655/2	0.06
658	0.04
400/1	0.11
404	0.05
453	0.10
778	0.05
770/4	0.02
765/2	0.08
765/3	0.03
726	0.10
640/2	0.11

(1)	(2)
644	0.01
598	0.13
600/2	0.05
582	0.22
656/2	0.01
743	0.01
399	0.01
409	0.43
781	0.24
779	0.05
767	0.08
742	0.11
741	0.04
729/2	0.02
642/1	0.08
599/1	0.02
653	0.15
600/3	0.03
655/1	0.02
657	0.12
योग	3.59

(2)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 अप्रैल 2006

क्रमांक 551-अ/82 सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम- असोगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.62 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
523	0.07
525	0.05
541/1	0.25
542	0.25
383	0.05
381	0.04
286	0.06
357	0.20
373	0.19
376	0.23
524	0.01
529	0.05
548/1	0.59
547	0.05
384	0.13
377	0.04
356/1	0.15
399	0.25
374	0.38
526	0.10
530	0.25
543	0.32
546	0.12
382	0.06
378	0.05
356/2	0.35
394	0.08
375	0.25
योग	4.62

(2)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/01/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेमेतरा
(ग) नगर/ग्राम-ताला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.96 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
304	0.50
285	0.05
330	0.22
414	0.28
286/2	0.46
329	0.15
478/1	0.30
योग	1.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहभट्ठा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/06 अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-नवागढ़
(ग) नगर/ग्राम-ढनढनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
569/2	0.09
योग	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भदौरा व्यपवर्तन अंतर्गत नहरनाली निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/11/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-नवागढ़
(ग) नगर/ग्राम-नवागढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
261	0.14
317	0.20
328	0.01
329/2	0.13
321	0.16
2618	0.02
329/1	0.22
331/1	0.08
332	0.12
920	0.09

(1)	(2)
676	0.03
2619	0.10
677	0.20
2627	0.20
2614	0.14
2607	0.12
2592	0.16
2605	0.16
2600	0.08
2601	0.20
2602	0.07
2613	0.13
2604	0.10
2590/2	0.03
330	0.04
योग	2.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छेरकापुर माइनर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/11/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-झाल, प.ह.नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.52 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
451	0.55
452	0.70
453	1.27
योग	2.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झाल जलाशय के डुबान में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/12/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-ताला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
305/1	0.10
315/1	0.01
315/2	0.04
324/4	0.08
योग	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ताला पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/13/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोज़न के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बैजलपुर, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82	0.84
78	0.60
77	0.04
86	0.07
87	0.12
238	0.52
73	0.73
225	0.24
226	0.38
79	1.02
76/2	0.07
75/1	0.08
75/2	0.08
88	0.46
91	0.35
74	0.50
89	0.48
90	0.23
93	0.23
94	0.07
96	0.26
97	0.08
92	0.12
69	0.51
111	0.49
227/1	0.10
227/6	0.14
232	0.16
76/1	0.07
95	0.04
योग	9.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लालपुर जलाशय योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/14/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लालपुर, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/2	0.88
46	0.66
229	0.22
45/3	0.10
योग	1.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लालपुर जलाशय योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/16/अ-82/भू-अर्जन/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-ढोलिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
23/1	0.14
117	0.14
337/4	0.02
340	0.02
365/2	0.25
386/1	0.03
390	0.05
391	0.01
47	0.35
332/1	0.04
339	0.09
354	1.10
368/4	0.07
386/2	0.11
392	0.19
370/2	0.07
48	0.18
332/3	0.08
357	0.07
358/3	0.15
370/1	0.08
389	0.06
396	0.02
योग	3.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ढोलिया जलाशय के डूबान में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/20/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-ओटेबंद, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
534	0.34
536/4	0.20
549	0.16
571/3	0.04
573	0.05
580	0.16
536/1	0.02
545/1	0.02
550	0.07
581	0.12
574/2	0:02

(1)	(2)
583/3	0.01
536/2	0.21
545/2	0.01
570	0.38
569	0.04
582	0.09
578	0.01
योग	1.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यप. (मुख्य नहर).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/22/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-खिलोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.42 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
982	0.02
1002	0.14
1003	0.01
1001	0.10
998	0.02
997	0.05
999	0.08
योग	0.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत तिलईकुड़ा माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/23/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-तिलईकुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81	0.11
94	0.62
86/1	0.13
109/3	0.01
141	0.07
137/3	0.01
134/2	0.13
82	0.10

(1)	(2)
95/2	0.01
85/2	0.13
72	0.04
140	0.06
133	0.11
137/1	0.04
83	0.02
84/2	0.09
110	0.01
142	0.03
132/3	0.01
134/1	0.03
योग	1.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथमुड़ी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत तिलईकुड़ा माइनर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अप्रैल 2006

क्रमांक/25/अ-82/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-अमोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1004	0.02
1005	0.01
1006	0.03
1007	0.01
1012	0.01
1016	0.05
योग	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-शिवनाथ नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक/330/प्र. 1/2006/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.71 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
105/2	1.53
105/4	1.73
613	0.14
614	0.02
618	0.01
617	0.06

(1)	(2)
616/1	0.02
629	0.07
630	0.01
631	0.04
632/1	0.01
633	0.04
634	0.11
639	0.04
560/12	0.24
560/11	0.04
560/5	0.26
643/1	0.02
561	0.02
302	0.11
303/1	0.10
303/2	0.10
305/3	0.07
305/2	0.08
305/1	0.13
310	0.05
311	0.13
313	0.11
314/1	0.01
366/1	0.11
366/3	0.11
367/2	0.06
367/1	0.07
368/1	0.11
372/1	0.07
372/2	0.05
372/3	0.09
407	0.28
421	0.02
418	0.10
417	0.09
408	0.01
416	0.09
412/1	0.03
413	0.07
414	0.02
560/13	0.03
योग 46	6.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी भिमौरी जलाशय अंतर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./01/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-छिन्दकालो
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.483 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51	0.032

(1)	(2)
73/4	0.030
580	0.032
75	0.020
60	0.032
76	0.016
61	0.049
234/4	0.050
71/1	0.154
234/28	0.016
72/2	0.020
56/4	0.012
योग	0.483

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोतीपुर माइनर के ग्राम छिन्दकालो के वाटरफोर्स के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./03/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-दरिमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1096/1	0.060
1141	0.046
1187	0.033
1096/2	0.060
1142	0.046
1190	0.084
1097	0.019
1143/2	0.037
1191	0.020
1185	0.052
1149/1	0.068
1195	0.114
1131/1	0.132
1150/1	0.120
1199	0.025
1140	0.037
1186	0.024
1200	0.091
योग	1.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बरनई परियोजना के करैंया वितरक नहर के बरगई माइनर का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./05/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-मेण्ड्राखुर्द
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.305 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
174/6	0.032
632/7	0.016
533	0.041
552	0.032
339	0.081
632/3	0.024
559	0.024
530	0.057
531/1	0.012
563	0.072
655/2	0.032
352	0.064
535	0.048
343	0.034
592/5	0.032
174/5	0.041
353	0.028
583	0.020
531/2	0.012
655/6	0.041
373	0.041
584	0.024
531/3	0.016
655/7	0.048
550	0.032
578	0.024
551	0.032
योग	1.305

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अर्चना जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./07/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-सपना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.202 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
491/2	0.074
595	0.078
624/9	0.207
491/4	0.068
598/1	0.114
584/1	0.038
578	0.096
598/3	0.073
584/2	0.009
579	0.029
618/1	0.065
584/3	0.032
588	0.073
618/2	0.065
589/2	0.024
590/2	0.036
624/3	0.121
योग	1.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बांकीपुर जलाशय के बायां तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./10/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-अड़ची
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.909 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
186/823/19	0.210
186/823/30	0.056
186/823/29	0.162
186/799/2	0.079
186/823/31	0.121
186/799/1	0.079
186/823/7	0.202
योग	0.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्याम घुन-घुट्टा परियोजना के फुलटैंक लेबिल के अतिरिक्त डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./11/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-गोरियापीपर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.841 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.093
2/7	0.226
215/6	0.081
174/2	0.081
2/6	0.024
15	0.113
126/2	0.081
176/1	0.041
215/1	0.089
107	0.170
104/2	0.081
177/1	0.015
2/4	0.049
104/1	0.121
180	0.129
177/2	0.015
1/2	0.068
105/1	0.041
158	0.170
14	0.024
106	0.032
126/1	0.097
योग	1.841

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- [illegible]टा जलाशय योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./14/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-लिबरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.545 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
22/1	0.364
343/61	0.202
343/53	0.170
98/2	0.202
3/15	0.243
377/10	0.542
340/2	0.170
362	0.168
340/41	0.405
377/13	0.930
375/3	0.486
340/40	0.061
723/6	0.263
639	0.283
377/16	0.121
389/1	0.168
379/16	0.567
343/40	0.365
375/8	0.101
377/17	0.445
3/11	0.061
387	0.024
379/15	0.283
27	0.161
22/2	0.409
343/52	0.210
375/12	0.060
380/2	0.202
375/10	0.283
370/13	0.34
59	0.368
387	0.024
329/714	0.012
375/14	0.142
343/44	0.162
370/19	0.101
4/2	0.307
340/13	0.340
377/20	0.405
378/17	0.546
60	0.154
397/2	0.060
379/5	0.364
723/8	0.239
343/22	0.304
421/1	0.101
339/1	0.100
378/22	0.526
योग	13.545

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्याम घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./18/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम-कूसू
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.459 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
917/1	0.024
922	0.073
950	0.028
948/2	0.121
824/1	0.161
1324	0.012
1045	0.057
1058	0.093
1332	0.008
1323	0.041
1336	0.049
1374/1	0.210
816	0.049
923	0.089
921/2	0.020
1020/1	0.218
1046	0.251
1025	0.049
1034	0.024
1059	0.036
1216	0.089
1053	0.093
1337/3	0.081
1379/1	0.041
917/2	0.049
943/1	0.016
940/1	0.036
1022/2	0.049
1014	0.024
1027	0.121
1055/1	0.016
1065/2	0.057
1231/3	0.089
1325	0.012
1368	0.081
1379/2	0.024
817	0.012
943/2	0.016
943/1	0.121
936/1	0.101
997	0.081
1034	0.097
1054	0.016
1214	0.186
815	0.061
1333	0.028
1367	0.032
1231/2	0.008
916/1	0.052
943/3	0.016
935/2	0.032
936/2	0.036
1024/2	0.049
1040	0.081
1055/2	0.020
1215	0.036
1311	0.057
1334	0.065
1370/2	0.016
943/2	0.012
916/2	0.049
947	0.045
1021	0.020
937/1	0.165
1029	0.041
1041	0.041
1213/1	0.049
1378/4	0.024
1321	0.085
1335	0.073
1372	0.145
योग	4.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुटा जलाशय योजना के मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./18/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा (धौरपुर)
- (ग) नगर/ग्राम-गेरसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.551 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
61	0.061
64	0.081
164	0.016
350	0.231
395	0.049
475	0.073
431	0.040
445	0.020
479	0.073
1260	0.073
62	0.142
348	0.004
165	0.012
386	0.093
397	0.081
406	0.069
432	0.012
447	0.008
480	0.223
1261/3	0.162
63	0.101
349	0.049
166	0.061
388	0.081
403	0.040
407	0.008
433	0.012
450	0.093
478	0.134
347	0.004
170	0.040
161	0.012
167	0.020
331	0.028
411	0.008
408	0.036
461	0.061
455	0.101
485/1	0.174
176	0.004
162	0.085
168	0.024
352	0.020
405	0.012
429	0.061
434	0.008
463	0.093
495/1	0.081
177	0.004
163	0.020
169	0.020
391	0.032
465	0.053
430	0.024
435	0.004
477	0.129
496/1	0.291
योग	3.551

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गेरसा जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./19/अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-रेवापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.525 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
322	0.020
279	0.004
94/11	0.809
317	0.016
273/1	0.141
1/11	0.333
315	0.016
262	0.008
316	0.028
257	0.004
310	0.025
251	0.004
342	0.016
417/2	0.101
योग	1.525

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- श्याम घुनघुट्टा परियोजना के अतिरिक्त डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2006

रा. प्र. क्र./69/अ-82/89-90.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-अम्बिकापुर

(ग) नगर/ग्राम-ससकालो

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.636 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
160	0.053
26/2	0.125
152	0.097
23/8	0.033
23/7	0.053
26/1	0.134
159	0.141
योग	0.636

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरनई परियोजना के ससकालो माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अप्रैल 2006

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-महेवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
949	0.18
633	0.22
635	0.07
636	0.01
योग 4	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पी.डब्ल्यू. डी. रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अप्रैल 2006

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेख़ित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-वाड्रफनगर
- (ग) नगर/ग्राम-धनवार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
38	0.60
69	0.38
40	0.56
44/1	0.50
45	0.36
46	0.33
41	0.04
42	0.19
43	0.10
44/2	0.02
47	0.36
48	0.51
49	0.39
50	1.21
52	0.04
82	0.35
51	0.94
78	0.36
80	0.21
81	0.27
योग 20	7.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टोल टैक्स बेरियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 जनवरी 2006

क्रमांक 02/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-कचंदा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	270/2	0.032
	263/1	0.020
योग	2	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कचंदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 जनवरी 2006

क्रमांक 03/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा कला, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.077 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	351/2	0.049
	337/2	0.028
योग	2	0.077

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- परसदा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 जनवरी 2006

क्रमांक 04/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-तालदेवरी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.146 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2166/2, 2169/2	0.146
योग	0.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बनडभरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक 05/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनाईडीह, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
168	0.162
174	0.040
योग 2	0.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बड़गड़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक 06/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-चारपारा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.138 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
117	0.138
योग 1	0.138

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक 07/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-लवसरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1595	0.028
	1678	0.004
	1588	0.024
योग	3	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिरली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 16 जनवरी 2006

क्रमांक 08/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुडसकला, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.483 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	597/2	0.053
	597/3	0.057
	597/4	0.049
	597/5	0.049
	595/3	0.069
	594/2, 594/3	0.016
	588/2	0.073
	585/1	0.032
	581/1	0.053
	1042/1	0.032
योग		0.483

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- गुडसकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 25 जनवरी 2006

क्रमांक 82/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जुड़गा, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.119 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7/2	0.032
10/2	0.081
33/5	0.024
33/6, 7	0.040
36	0.049
50	0.081
332	0.008
333	0.004
37/1, 38	0.016
43/2, 44	0.121
52/3	0.113
52/1	0.012
286/1, 3	0.053
293, 294, 295/1	0.061
293, 294/2	0.109
292/1	0.049
290, 291/2	0.020
290, 291/1	0.020
292/4	0.073
326	0.085
471	0.061
489/1	0.077
320/1, 321, 328	0.077
329, 330, 331	0.085
334	0.016
335/1	0.081
341	0.065
468	0.085
489/2	0.097
470	0.020
490	0.032
491	0.012
493	0.012
492/1	0.028
501	0.032
502/4	0.045
502/6	0.020
636	0.077
637	0.053
639	0.121
689	0.012
638/2	0.069
638/3	0.069
647/1	0.057
687	0.020
688	0.133
928, 934/1	0.081
929	0.053
932/1	0.109
932/2	0.061
933/1	0.065
931/1	0.020
936/5, 6, 7	0.150
937/1, 939/1, 937/2, 939/2	0.073
योग 54	3.119

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नवागांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर/सक्ती/डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 फरवरी 2006

क्रमांक 85/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-धौराभांठा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
205/2	0.008
205/3	0.024
योग 2	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- टूठी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 फरवरी 2006

क्रमांक 86/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-फगुरम, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
820/1	0.024
820/4	0.016
1634	0.040
योग	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुधरी सब डिवाय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 3 फरवरी 2006

क्रमांक 87/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सराईपाली, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.392 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
466/3	0.016
447/1, 2	0.032
469/1, 4, 5	0.344
योग	0.392

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर/सक्ती/डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 13 फरवरी 2006

क्रमांक 88/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नंदौरकला, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.534 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
674	0.008
675/1	0.020
676/1	0.008
690	0.069
720	0.065
698	0.045
695	0.008
701	0.016
719	0.004
700	0.024
820	0.028
721	0.024
622	0.016
765/1	0.012
765/2	0.012
766	0.020
768	0.020
769	0.028
771	0.012
821	0.024
773	0.057
772/1	0.012
777	0.016
778/1	0.008
822/1	0.008
778/2	0.008
779	0.020
846/1	0.040
780/1	0.012
1179	0.109
1178	0.020
1177	0.065
780/2	0.012
817	0.032
818/3	0.028
819/1	0.008
819/2	0.012
822/2	0.008
823/1	0.012
823/2	0.008
846/2	0.008
1170	0.085
1176	0.178
1214/1	0.089
1214/2	0.024
1222/1	0.081
1222/2, 3	0.243
1235	0.097
1236	0.024
1248/2	0.089
1237/1	0.113
1244	0.142
1242/1	0.097
1282/1	0.032
1282/2	0.036
1283	0.117
1289/1	0.121
योग	2.534

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मल्दी माइनर नहर (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2006

क्रमांक 01/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सुकुलपारा, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	504	0.032
योग		0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जांजगीर/सक्ती/डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 17 फरवरी 2006

क्रमांक 02/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-जांजगीर, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.071 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा, (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3807/1	0.024
	4000/1	0.047
योग	2	0.071

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जांजगीर-चांपा बाइपास सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर/सक्ती/डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 93/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
465/3, 465/5	0.073

(1)	(2)
243/4	0.012
योग	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरारी टेल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 94/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कुसमुल, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.255 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
556/1	0.069
946	0.089
979	0.020
912/1	0.020
945	0.049
941/2	0.008
योग	0.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 95/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बांधापाली, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/4, 59/3, 228/3	0.081
योग	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवरघटा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 96/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-खैरा, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.229 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
55	0.012
41/7	0.081
370/1	0.008
446/2	0.012
444/1	0.004
442/2 क	0.008
438	0.008
445/1	0.008
453	0.004
445/2	0.024
441/4	0.016
445/3	0.008
41/4 क	0.036
योग 13	0.229

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु: सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 97/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.122 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
563/4	0.057
563/2	0.045
487/2	0.020
योग 3	0.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चुरतेला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 98/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोटमी, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.412 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
901/3	0.073
896/4	0.117
1010/1	0.040
896/2	0.069
897/6	0.020
1009/1	0.020
1011/4	0.008

(1)	(2)
814/1	0.065
योग	0.412

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 99/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बाड़ादरहा, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.620 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
277/3	0.016
277/4	0.012
278/2	0.032
494	0.016
474/9	0.061
404/16	0.032
404/4	0.032
383/4	0.040
404/17	0.089
449	0.081
386/2	0.020
386/7	0.020
404/11	0.097
496/2	0.036
496/1	0.036
योग	0.620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-6 एल. माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 100/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कुलबा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.221 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
66/2	0.012
96/5	0.045
96/1	0.008
469/6	0.040
66/6	0.040
351/1, 352/2	0.040

(1)	(2)
189/1	0.036
योग	0.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुधरी सब डी. वाय. माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 101/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कांसा, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.193 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
26/1	0.024
738/1	0.133
898/2	0.020
903/7	0.016
योग	0.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांसा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 102/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-केनापाली, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
670/1	0.008
670/5	0.008
670/6	0.065
672/2	0.020
674/2	0.016
675/2	0.028
योग	0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 103/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कांसा, प. ह. नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	26/1	0.036
योग	1	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कांसा ब्रांच माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 104/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-सुखदा, प. ह. नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.164 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1273	0.040
	1306	0.012
	1304/5	0.036
	1305/2	0.040
	1304/6	0.012
	1278	0.024
योग	6	0.164

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटौद सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 105/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कटेकोनी छोटे, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	465/2	0.008
	104/2	0.016
	601/3	0.077
योग	3	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोबरा सब डी. वाय. माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 106/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-धौराभांठा, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.211 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113/1	0.089
340/2	0.081
335	0.041
योग 3	0.211

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-6 द्वार ब्रांच मायनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 107/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 07

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.311 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
93/1	0.061
93/2	0.020
87	0.016
88	0.012
9	0.012
86	0.016
90	0.008
8	0.057
7	0.036
24/4, 24/5	0.008
24/1	0.045
24/2	0.020
योग	0.311

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 108/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-परसा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	232/10	0.012
	232/1	0.016
	498/2	0.012
	560	0.020
योग		0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेल माइनर/परसा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 109/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-बोड़ासागर, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.516 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	283/1	0.077
	251	0.008
	264/2	0.024
	261	0.089
	265/2	0.016
	226/1	0.020
	222/28	0.016
	249	0.012
	248/1	0.008
	278/2	0.061
	222/11	0.032
	226/5	0.004
	222/27	0.012
	225/17	0.016
	225/6	0.008
	250/1	0.008
	228/6	0.004
	222/7	0.101
योग	18	0.516

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोड़ासागर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 110/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-दलालपाली, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.165 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
125/1	0.008
145/5	0.016
238/3	0.040
131/5	0.101
योग	0.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दलालंपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 111/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.153 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
860/3	0.032
840/4	0.073
817/2	0.020
823/6	0.020
842/15	0.008
योग	0.153

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दलालपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 112/सी-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-सपिया, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1182/1	0.024
योग 1	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सपिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 27 फरवरी 2006

क्रमांक 113/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता. है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेसीपत, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.243 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1635	0.048
1562/3	0.040
1020, 1023, 1024	0.081
1028/4	0.077
1021/2	0.040
1636/2	0.024
1027/2	0.145
1027/3	0.093
1016/2	0.081
1028/3	0.081
1019	0.141
1006/3, 4	0.182
1025/1	0.089
1708/1	0.064
1048/4	0.057
योग 15	1.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बड़ेसीपत माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना,सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक 12/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धरदेई, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
365/2	0.057
योग 1	0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धरदेई माइनर नं. 4 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक 13/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-सेमरिया, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.130 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
297	0.049
332/2	0.081
योग 2	0.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सेमरिया वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2006

क्रमांक क/सहा. ख. लि. 2/3-1/खुघो/2006.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम (1)	प. ह. नं. (2)	तहसील (3)	ख. नं. (4)	रकबा (5)	अन्य विवरण (6)
बेलटिकरी	12	बिलाईगढ़	742/2, 745, 746	0.279 हेक्टर निजी भूमि	श्री पुनऊराम जायसवाल पिता श्री रामदुलारे निवासी बेलटिकरी, तहसील बिलाईगढ़, जिला रायपुर के नाम पर ग्राम बेलटिकरी निजी स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 742/2, 745, 746 रकबा 0.279 हेक्टर क्षेत्र पर चूनापत्थर उत्खनि-पट्टा अवधि 28-10-97 से 27-10-2002 तक स्वीकृत पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के कारण खदान रिक्त है.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवम् भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 1356/अ वि अ/2006.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर, तक मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	डोंगरी/22	01	0.15

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 1358/अ वि अ/2006.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर, तक मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बलौदा/21	02	0.50

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 1360/अ वि अ/2006.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर, तक मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	भेलाई/22	01	0.04

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 अप्रैल 2006

क्रमांक 1364/अ वि अ/2006.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर, तक मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	कोरबी/22	06	2.26

आर. एक्का,
अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवम् भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक-15/अ-82/05-06.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी, जिला बिलासपुर, तक मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	कर्रा/36	06	2.45

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च 2006

विषय :—उपाध्यक्ष (मण्डी) का निर्वाचन बाबत्.

क्रमांक/531/म.नि./2005-06.—विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापन अनुसार बिलासपुर जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में प्रथम चरण हेतु निम्नानुसार मण्डी समितियों में उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन एवं प्रथम सम्मेलन सम्पन्न हुआ निर्वाचित हुए उपाध्यक्षों की जानकारी निम्नानुसार है :—

अ. क्र.	मण्डी का नाम	निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	कृषि उपज मण्डी-43 बिलासपुर	श्री राजेश्वर प्रसाद शर्मा
2.	कृषि उपज मण्डी-44 मुंगेली	श्री मंशाराम साहू
3.	कृषि उपज मण्डी-46 कोटा	श्री रियाज अहमद जुनजानी

बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2006

विषय :—उपाध्यक्ष (मण्डी) का निर्वाचन बाबत्.

क्रमांक/536/म.नि./2005-06.—विषयान्तर्गत संदर्भित ज्ञापन अनुसार बिलासपुर जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों में द्वितीय चरण हेतु निम्नानुसार मण्डी समितियों में उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन एवं द्वितीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ निर्वाचित हुए उपाध्यक्षों की जानकारी निम्नानुसार है :—

अ. क्र. (1)	मण्डी का नाम (2)	निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम (3)
1.	कृषि उपज मण्डी-45 जयरामनगर	श्री राम नारायण भारद्वाज
2.	कृषि उपज मण्डी-47 लोरमी	श्री बुध राम साहू
3.	कृषि उपज मण्डी-49 तखतपुर	श्री तुलाराम साहू

विकासशील,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2006

क्रमांक/512/मण्डी निर्वा./अधि. 2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि जिले के कृषि उपज मण्डी समितियों का प्रथम सम्मेलन दिनांक 28-2-2006 को आहूत किया गया एवं उसमें नियमानुसार मण्डी समिति के उपाध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न कराया गया. मण्डी समितियों के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष निम्नानुसार निर्वाचित घोषित किए गए हैं :—

क्र. (1)	निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम (2)	पता (3)	मण्डी समिति का क्र. व नाम (4)
1.	श्री बद्रीनाथ पटेल	मु. पो. धनागर तह. रायगढ़	57-रायगढ़
2.	श्रीमती जेमा देवी	मु. चारभाठा पो. बनई तह. घरघोड़ा	58-घरघोड़ा
3.	श्री अवधराम पटेल	मु. पो. मुरा तह. खरसिया	59-खरसिया

(1)	(2)		(3)
4.	श्री दुर्गाप्रताप सिंह	ग्रा. पो.-सारंगढ़ वार्ड क्र.-15 तह. सारंगढ़	60-सारंगढ़
5.	श्री चक्रधर पटेल	ग्रा. पो. लेन्ध्रा तह. सारंगढ़	61-बरमकेला

एस. के. राजू,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन) महासमुन्द

महासमुन्द, दिनांक 20 मार्च 2006

क्रमांक/373/मंडी निर्वा./2005-06.—छ. ग. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 11 (1) उप खण्ड (ङ) के अंतर्गत महासमुन्द जिले में पंजीकृत विपणन सहकारी समितियों के द्वारा मंडी समितियों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का नाम संबंधित मंडी समितियों में प्रतिनिधित्व करने हेतु उस मंडी क्षेत्र की विपणन सहकारी समिति के सदस्य का नाम निर्दिष्ट किया जाता है :—

क्र.	सदस्य का नाम	विपणन सहकारी समिति का नाम	मंडी का नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व करेगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री प्रकाश आजमानी	भारतीय फल फूल उत्पादक विपणन सहकारी समिति मर्यादित, महासमुन्द.	महासमुन्द
2.	श्री मंजीत सिंह सलूजा	मार्डन फल फूल उत्पादक विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बसना.	बसना

एस. के तिवारी,
कलेक्टर.